झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स०वि०स० श्री नारायण दास स०वि०स०	जब जिले में पुलिस अधीक्षकों का पदास्थापन होता है, तो जिले के थाना प्रभारियों का स्थानान्तरण आवश्यक रूप से कर दिया जाता है परन्तु हजारीबाग जिले के अन्तर्गत चरही थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी श्री आनन्द आजाद की अनेकों शिकायत के वावजूद स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। थाना क्षेत्र में अवैध कोयले की तस्करी चरम पर है। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा बराबर थाना प्रभारी के कुकृत्यों को प्रमुखता से उजागर किए जाने, आदिवासी महिला के साथ अभद्र व्यवहार, निर्दोषों को झूठे मामले में फसाकर मुद्रा मोचन, गिरती विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने के वावजूद भी अपने पद पर बने हुए है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व एवं वर्त्तमान में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को मोहरा बनाकर अवैध कमाई कर रहे है। अतः हजारीबाग जिला के चरही थाना प्रभारी के पदास्थापन काल से लेकर आज तक के लिए गये कार्यों की जाँच स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराकर संलिप्त पूर्व एवं वर्तमान पुलिस अधीक्षकों के विरूद्ध दण्डात्मक	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		कार्रवाई सुनिश्चित कराकर क्षेत्र में व्याप्त-लूट एवं भ्रष्टाचार तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
02-	श्री मंगल कालिन्दी स०वि०स० श्री संजीव सरदार स०वि०स०	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड-जमशेदपुर के बेलाजुड़ी ग्राम में JSBAY योजना अन्तर्गत पावर सब-स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के छः पंचायतों में हजारों लोग रहते है एवं सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में लगभग 30 कि०मी० दूर मानगो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उक्त उपकेन्द्र की भी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ज्यादातर विद्युत की आपूर्ति बाधित ही रहती है। जिसकारण उक्त क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों में घरेलू उपयोग के साथ-साथ ऑनलाईन आवेदन करने यहाँ तक की मोबाईल चार्ज कराने के लिए भी 30 कि०मी० दूर मानगो जाना पड़ता है। जिसकारण यहाँ की जनता में काफी रोष व्याप्त है। आप अवगत हों कि JSBAY योजना के तहत् उक्त कार्य को ''यूबीटेक प्राईवेट कंपनी'' को उक्त कार्य आवंटित किया गया है। अतः आसन के माध्यम से JSBAY योजना को अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	ऊर्जा
03-	श्री किशुन कुमार दास स०वि०स० श्री बिरंची नारायण स०वि०स० श्री कोचे मुण्डा स०वि०स०	चतरा जिला के सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लावालौंग प्रखण्ड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के साथ वन्य जीव आश्रयणी क्षेत्र भी घोषित है। लावालौंग से पांकी तक पथ निर्माण की स्वीकृति वर्ष-2020 में ही दी गई, परन्तु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण उक्त पथ का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है। इस प्रखण्ड में कई पंचायत/गाँव हैं जहाँ अब तक-	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
		सड़क निर्माण नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाय तो खटिया में टांगकर ईलाज हेतु लाया जाता है। साथ ही लावालौंग प्रखण्ड के छः पंचायत में वन विभाग के उदासीनता के कारण विद्युतीकरण कार्य भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण लंबित है। लावालौंग प्रखण्ड क्षेत्र में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी मुलभूत सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल पाया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। अतः व्यापक लोकहित में लावालौंग प्रखण्ड के उक्त पथ निर्माण योजना सहित अन्य सभी लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र का यथाशीघ्र निर्गत करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
04-	श्री बंधु तिर्की स०वि०स०	विदित हो कि राँची जिला के मौजा-हेसल, पिस्का मोड़ सत्यारी सरना स्थल खाता नं0-118, प्लॉट नं0-731, 732, 733 में आदिवासी समाज आदिकाल से पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान करते आ रहे हैं। उक्त सरना स्थल खुला होने के कारण गंदगी एवं मल-मूत्र से पूरी तरह दूषित है। जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है। अतः जनहित में सत्यारी सरना स्थल की घेराबन्दी कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
05-	श्री अमित कुमार मंडल स०वि०स० श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स०	सरकार द्वारा राज्यस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी में कुड़माली भाषा को सम्मिलित किया गया है जबकि जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में गोड्डा समेत संथालपरगना से कुड़माली भाषा को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गोड्डा समेत संथालपरगना में कुर्मी (महतो) की जनसंख्या-18 से 20 प्रतिशत है,	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		जिनकी बोल-चाल की भाषा कुड़माली है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा गलत नीति निर्धारण के कारण कुड़माली बोलने वाले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में कम अवसर प्राप्त होगा। जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरियों में गोड्डा जिलान्तर्गत कुड़माली को जोड़ना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि जनगणना निदेशालय भारत सरकार से प्राप्त वर्ष- 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जिला अन्तर्गत कुड़माली भाषा-भाषियों की संख्या- 37,234 है, जो कि काफी बड़ी गरीब एवं पिछड़ी आबादी है। अतः कुड़माली जिलस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरियों में गोड्डा जिला समेत संथालपरगना प्रमंडल में कुड़माली भाषा को सम्मिलित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	

राँची,
दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2022-....1515..../वि० स०, राँची, दिनांक- 23/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ऊर्जा विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2022-....1515..../वि० स०, राँची, दिनांक- 23/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

23/03/22

सुभाष/-